

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक : एफ.3(ख)(एस-3311/2013)/अलेसे-III/147

दिनांक :- 24.01.2023

कार्यालय आदेश

श्रीमती सरोज मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (दिव्यांग) कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, बामनवास (सवाई माधोपुर) को वित्त (ग्रुप-2) विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 10(4)वित्त(ग्रुप-2)/76 दिनांक 13.03.1984 के अन्तर्गत सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की अनुशंसा दिनांक 13.01.2023 के आधार पर एवं वित्त (नियम) विभाग के आदेश संख्या एफ.6(6)एफडी/रूल्स/2010 दिनांक 30.05.2022 के अनुक्रम में नियमानुसार मूल वेतन का 6 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 1200/-) प्रति माह वाहन भत्ता स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति दिनांक 13.01.2023 (चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंसा) से प्रभावी होगी।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.3(ख)(एस-3311/2013)/अलेसे-III/147

दिनांक :- 24.01.2023

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, बामनवास (सवाई माधोपुर)।
2. कोषाधिकारी, सवाई माधोपुर।
3. उप निदेशक (ए.सी.पी.), कार्यालय हाजा।
4. श्रीमती सरोज मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (दिव्यांग) कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, बामनवास (सवाई माधोपुर)।
5. पदस्थापन सीट / निजि / रक्षित पत्रावली।


(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II एवं III)